



फद अहकाम

(नियम 26)

अदालत अति. जिजा कलक्टर मुकाम दौसा
दौसा जिला कलक्टर बनाम श्री. राजेश चंद व इतर
 रम मुकदमा प्राथमिक 3/44 नं. 39 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21-6-22	<p>...</p> <p>11-7-22 (अधिकृत प्राचीयण उपस्थित) अ प्राचीयण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलबाने पेश होने पर तलबी की जागरूकता की डिलीट 25-7-22 को पेश हो।</p>	
25-7-22	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिकृत प्राचीयण को नार-नार आवाज लगावई गई। किन्तु अधिकृत प्राचीयण उपस्थित नहीं हुए और बार-बार अवसर दिये जाने के उपरांत भी अ प्राचीयण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड तलबाने पेश नहीं किये गये। जिससे प्रतीत होता है कि प्राचीयण द्वारा विचाराधीन प्रकरण का अनावश्यक लम्बित रखने का प्रयास किया गया है तथा मायामय क आदेश की अवहेलना की गई है अतः प्राचीयण एसोडेटी पतिन रामजीलाल, शतवाई पतिन धोरेलाल, चैनीवाई पतिन धीरेकिशन, गुजरी पतिन रामदयाल जतिनी निवासी ग्राम चैनपुरा बहली बसवा जिला दौसा द्वारा आवेदन क्रमांक 18-3-1968 ग्राम चैनपुरा बहली बसवा बहक औरमा, गुल्मा पुत्रान मंगीराम ... इत्यादि।</p>	<p>21-6-22</p> <p>25-7-22</p> <p>...</p>




 (अति. जिजा कलक्टर)
 (दौसा जिला कलक्टर)
 (दौसा (जिजा))

